भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3487
(17 दिसंबर, 2024 को उत्तर दिए जाने के लिए)

ग्रामीण क्षेत्रों में गृहविहीन लोगों के लिए सुख-सुविधाएं

3487. डॉ. प्रभा मल्लिकार्जुन:

क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) के अंतर्गत 2024 तक ग्रामीण क्षेत्रों में सभी गृहविहीन लोगों को सभी सुविधाओं के साथ पक्का घर उपलब्ध कराने का लक्ष्य प्राप्त कर लिया है;

(ख) सरकार द्वारा लाभार्थियों के चयन के मानदंडों का ब्यौरा क्या है और पीएमएवाई-जी के अंतर्गत प्रदान की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(ग) दावणगेरे में अब तक पीएमएवाई-जी के अंतर्गत कितने परिवारों को लाभ हुआ है; और

(घ) वर्तमान वित्तीय वर्ष के लिए लक्षित लाभार्थियों की संख्या का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
(डॉ. चन्द्रशेखर पेम्मासानी)

(क): ग्रामीण विकास मंत्रालय 1 अप्रैल 2016 से प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) को कार्यान्वित कर रहा है, जिसका लक्ष्य ग्रामीण क्षेत्रों में "सभी के लिए आवास" के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए पात्र ग्रामीण परिवारों को बुनियादी सुविधाओं से युक्त पक्के आवासों के निर्माण के लिए सहायता प्रदान करना है। पीएमएवाई-जी के तहत, प्रारंभिक लक्ष्य वित्त वर्ष 2016-17 से 2023-24 के दौरान 2.95 करोड़ आवासों का निर्माण करना था और इस लक्ष्य की तुलना में 13.12.2024 तक, सभी आवासों को स्वीकृति दे दी गई है और 2.68 करोड़ आवासों का निर्माण पूरा हो चुका है। भारत सरकार ने 2 करोड़ अतिरिक्त आवासों के निर्माण के लिए सहायता प्रदान करने हेतु वित्त वर्ष 2024-25 से 2028-29 के दौरान 5 और वर्षों के लिए योजना के कार्यान्वयन को अनुमोदित किया है।

(ख): पीएमएवाई-जी के तहत पात्र लाभार्थियों में सामाजिक-आर्थिक जातिगत जनगणना

(एसईसीसी) 2011 और आवास+, 2018 सर्वेक्षण आंकड़ों के अनुसार सभी बेघर और कच्ची दीवार और कच्ची छत (कच्चे आवास) वाले शून्य, एक या दो कमरों में रहने वाले परिवार शामिल हैं। लाभार्थियों की पहचान सामाजिक-आर्थिक जातिगत जनगणना 2011 के तहत निर्धारित आवास अभावग्रस्तता मापदंडों और बहिष्करण मानदंडों के आधार पर की जाती है। इन मापदंडों/मानदंडों को एसईसीसी 2011 और आवास+, 2018 सर्वेक्षण डेटाबेस दोनों पर लागू किया जाता है और फिर पात्र लाभार्थियों की अंतिम सूची पर पहुंचने के लिए उन्हें ग्राम सभा द्वारा उचित सत्यापन और उसके बाद अपीलीय प्रक्रिया के अधीन रखा जाता है। इसके अतिरिक्त, भारत सरकार ने योजना के अंतर्गत संशोधित बहिष्करण मानदंडों का उपयोग करते हुए अतिरिक्त पात्र ग्रामीण परिवारों को चिन्हित करने के लिए आवास+ सूची को अद्यतन करने का अनुमोदन प्रदान किया है। भारत सरकार के अनुमोदन के अनुरूप, सर्वेक्षण के संचालन के लिए आवास + 2024 मोबाइल ऐप को पहले ही 17.09.2024 को शुरू किया जा चुका है।

पीएमएवाई-जी के तहत, लाभार्थियों को मैदानी क्षेत्रों में 1.20 लाख रुपये और पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों और 2 पहाड़ी राज्यों (हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड) और जम्मू और कश्मीर और लद्दाख संघ राज्य क्षेत्रों में 1.30 लाख रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इसके अतिरिक्त, स्वच्छ भारत मिशन – ग्रामीण (एसबीएम-जी), महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) या वित्त पोषण के किसी अन्य विशिष्ट स्रोत के साथ अभिसरण के माध्यम से शौचालयों के निर्माण के लिए 12,000 रुपये की सहायता राशि भी प्रदान की जाती है। इसके अलावा, पीएमएवाई-जी लाभार्थी को उसके आवास निर्माण के लिए मनरेगा योजना के साथ अभिसरण द्वारा वर्तमान दरों पर 90/95 श्रम दिवस अकुशल मजदूरी रोजगार (लगभग 27,000 रुपये) की सहायता प्रदान करना अनिवार्य है। पीएमएवाई-जी परिवारों को अन्य प्रासंगिक योजनाओं के साथ अभिसरण के माध्यम से पानी, तरलीकृत पेट्रोलियम गैस (एलपीजी) और बिजली कनेक्शन भी उपलब्ध कराए जाते हैं।

(ग): पीएमएवाई-जी के तहत, 13.12.2024 तक, कर्नाटक के दावणगेरे जिले में 10,336 लाभार्थियों को आवास स्वीकृत किए गए हैं और 5,100 आवास पूरे हो चुके हैं।

(घ): पीएमएवाई-जी के तहत वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 40 लाख आवासों का निर्माण पूरा करने का लक्ष्य है। 13.12.2024 तक, राज्यों को 37.80 लाख आवासों का लक्ष्य आवंटित किया गया है और राज्यों ने 27.63 लाख लाभार्थियों को स्वीकृति दे दी है।

*****